फर्द अहकाम

न्यायालय

बनाम

संयोग कुमार — शंभू सिंह

मा संख्या /वर्ष : 336 /2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	"पैतृक सम्पत्ति" मान लेने का पर्याप्त आधार नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया केवल इस बिंदु का सुलझाव प्रार्थिका के पक्ष में बोल सिद्ध नहीं। प्रार्थिका ने ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया है जिससे विवादित भूमि पर प्रार्थिका को अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना प्रतीत है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य एवं खारिज किया जाता है। दस्तावेजी फैसला शुभ। बोला दर्ज रजिस्टर किया जावे। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	